बिहार विधान परिषद

(203 बजट सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

20 मार्च 2023

[कृषि - पथ निर्माण - ग्रामीण विकास - भवन निर्माण - ग्रामीण कार्य - पंचायती राज पशु एवं मत्स्य संसाधन].

Total Short Notice Question- 11

पुल निर्माण

*102 **मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या **पथ निर्माण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला में तरियानी प्रखंड के बसौल घाट पर पुल नहीं रहने के कारण लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बसौल घाट पर पुल निर्माण कराकर यात्रा सुगम करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

मनरेगा के संबंध में

*103 **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 27.26 करोड़ मानव दिवस की मांग की थी जिसमें कुल 17.5 करोड़ की स्वीकृति दी है;

(ख) क्या यह सही है कि इस वित्तीय वर्ष में अबतक 18 करोड़ 26 लाख का काम श्रमिकों को नवंबर तक दिया जा चुका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष बचे 9.76 करोड़ दिवस के लिए केंद्र सरकार से मांग की है, तो क्या सरकार सदन को केन्द्र के द्वारा दिये गये उत्तर से सदन को अवगत कराना चाहती है?

बाध्यता समाप्त करने के संबंध में

*104 **श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

क्या **पंचायती राज** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के पंचायतों में जो भी राशि दी जाती है, उसे टाइड एवं अनटाइड के रूप में तय करके दिया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि अनेक पंचायतों/वार्डों में अलग-अलग विकास/कार्यों की जरूरत होती है, परन्तु कहीं टाइड योजना की आवश्कयता होती है और वहां अनटाइड की राशि उपलब्ध रहती है और कहीं अनटाइड की आवश्यता रहती है वहां टाइड की राशि उपलब्ध रहती है, जिस कारण राशि का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार टाइड एवं अनटाइड की बाध्यता समाप्त करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

सड़क का निर्माण

*105 **श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या **ग्रामीण कार्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि बक्सर जिला अन्तर्गत नावानगर प्रखण्ड के बाबूगंज फुसवा डेरा से हारोजा पक्की मोरी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का निर्माण नहीं होने के कारण स्थानीय ग्रामीण एवं आम जनता को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शीघ्र कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नियमित पदस्थापना कबतक

*106 **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **भवन निर्माण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि भवन प्रमंडल, बक्सर में कार्यपालक अभियंता का पद 20 जून 2020 से ही रिक्त है और उस रिक्त पद पर सहायक अभियंता को कार्यपालक अभियंता का प्रभार देकर कार्य लिया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सहायक अभियंता के द्वारा कार्यपालक अभियंता के रूप में कराये गए कार्यों में कई प्रकार की वित्तीय अनियमितता की जा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बक्सर में कार्यपालक अभियंता के रिक्त पद पर नियमित पदस्थापन कबतक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

पहुंच पुल का निर्माण

*107 **डा. कुमुद वर्मा (विधान सभा):**

क्या **ग्रामीण कार्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिला के मखदूमपुर प्रखंड क्षेत्र की छरियारी पंचायत के अन्तर्गत आने वाले सोहजना गांव के किसानों की पचासों एकड़ जमीन, नदी पर गांव के समीप पैदल पहुंच पुल के अभाव में बीते कई दशक से प्रति वर्ष परती रहती है, इसका मुख्य कारण गांव के दर्जनों किसानों के खेतों का पश्चिम छोर पर गुजरने वाली यमुना नदी की तरफ होना है;

(ख) क्या यह सही है कि बरसात के मौसम में गहरी नदी में काफी पानी भर जाता है, जिससे किसान धान की खेती नहीं कर पाते हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित नदी पर पहुंच पुल बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पथ का कालीकरण

*108 **श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):**

क्या **ग्रामीण कार्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के पालीगंज प्रखण्डाधीन ग्राम पंचायत मसौढ़ा-जलपुरा के अधीनस्थ मुड़ाखार से जलपुरा स्कूल तक PMGSY के तहत पथ का

निर्माण 12 वर्ष पूर्व हुआ था;

(ख) क्या यह सही है कि सड़क निर्माण के बाद से अभीतक एक बार भी रख-रखाव का कार्य नहीं हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि रोड का Base Course स्टोन तक उखड़ गए हैं, जिससे मोटर साइकिल सवार और बूढ़े-बुजुर्ग गिरकर जख्मी हो जाते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ का सुदृढ़ीकरण एवं कालीकरण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सड़क की मरम्मती

*109 **डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि जिला-जहानाबाद, प्रखंड-रतनी, में रतनी ब्लॉक मोड़ से पंचायत-मोरहारा, हमीन्दपुर विद्युत सब-स्टेशन तक सड़क की स्थिति जर्जर है एवं सड़क के बीचों-बीच, बड़े-बड़े गड्ढे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सड़क की स्थिति जर्जर होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जिला-जहानाबाद, प्रखंड-रतनी में रतनी ब्लॉक मोड़ से पंचायत-मोरहारा, हमीन्दपुर विद्युत सब-स्टेशन तक सड़क की मरम्मती करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

गुणवत्ता की जांच

*110 **श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत गौनाहा प्रखंड परिसर स्थित मनरेगा के माध्यम से कराये गए Boundary Wall के निर्माण कार्य में घटिया स्तर के Bricks एवं Local Sand का उपयोग किया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किए गए कार्य की गुणवत्ता की जांच निगरानी विभाग से कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मा. उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद चुनाव नहीं

***111 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **पंचायती राज** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक- 43, दिनांक- 16.1.13 के द्वारा सकरा प्रखंड अन्तर्गत रामनगर, लक्ष्मणनगर पंचायत के गठन की स्वीकृति दी गई जिसे पंचायत समिति सकरा द्वारा दिनांक- 21.06.14 को ध्वनिमत से पारित भी किया गया;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मा. उच्च न्यायालय पटना MJC-170/2016 में पारित आदेश के आलोक में जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक- 169, दिनांक- 24.01.2019 के माध्यम से शपथ पत्र दाखिल कर रामनगर, लक्ष्मणनगर पंचायत के गठन की स्वीकृति जिला गजट में प्रकाशित भी की गई;

(ग) क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा मा. उच्च न्यायालय, पटना में दिनांक- 30.1.19 को शपथ पत्र भी दायर किया गया, उसके बावजूद भी आजतक रामनगर, लक्ष्मणनगर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का राज्य सरकार द्वारा न ही गठन हो सका और नही मा. उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी रामनगर, लक्ष्मणनगर पंचायत का चुनाव ही कराया जा सका है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड अन्तर्गत रामनगर, लक्ष्मणनगर पंचायत का अविलंब गठन कर चुनाव कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पथ का पक्कीकरण

***112 श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अन्तर्गत दुल्हिन बाजार प्रखंड उलार-सोरमपुर पंचायत की कुकरी विगहा में कच्ची सड़क का निर्माण 2007 में हुआ था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम की सड़क का अभी तक पक्कीकरण नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ का पक्कीकरण करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?